न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 11/2025

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नियामतुल्ला खान पुत्र हफिजुल्ला खान, निवासी–चिड़ियाघर स्कूल के पास, सांतपुर तहसील आबूरोड, जिला सिरोही।		जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के आदेश क्रमांक 2020/4490 दिनांक 21.10.2020 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अमित मेहता, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 23 सितम्बर, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प. 21 (1) () न्याय/2020/4490 दिनाक 21.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट के 12 बोर गन (रिवाल्वर/पिस्टल) तथा बी एल गन जो कि उनके मामा श्री रहीम खॉ पुत्र अब्दुल कवि खॉ की मृत्यु होने से अपीलान्ट उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 21.10.2020 को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 23.12.2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020 में यह कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 की जानकारी प्रार्थी/ अपीलान्ट को नहीं दी गई। जब प्रार्थी ने जिला कलेक्ट्रेट जाकर इसकी जानकारी प्राप्त करने के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

लिये सम्पर्क किया तो कर्मचारी के द्वारा कहा गया कि आपको आपके पते पर सूचना भेज दी जायेगी। अपीलान्ट के कई बार सम्पर्क करने पर भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 10.11.2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया तब जिला कलेक्टर कार्यालय से उपरोक्त प्रकार की सूचना दिनांक 24.11.2020 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई, तब अपीलाधीन आदेश जारी होने की जानकारी हुई। अपीलान्ट के द्वारा अपने अधिवक्ता के सम्पर्क करते हुए यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई है, ऐसे में अपील पेश करने हेतु जो देरी हुई है, वह सद्भाविक है, उसे क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया। प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलान्ट की ओर से अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020 में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के मामा श्री रहीम खॉ पुत्र अब्दुल कवि खॉ के नाम से 12 बोर गन (रिवाल्वर/पिस्टल) एमएल गन के अनुज्ञा पत्र संख्या 24/2002 दिनांक 31.12.2020 तक जारी होने तथा बीएन गन हेवर सन लंदन बीट संख्या 766 अनुज्ञा पत्र संख्या 33/70 दिनांक 31.12.2020 तक वैध होने तथा श्री रहीम खॉ की मृत्यु दिनांक 30.03.2020 को हो जाने के उपरान्त श्री रहीम खॉ के द्वारा उक्त शस्त्रों की वसीयत मुझ अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित होने के आधार पर उक्त शस्त्रों का नवीनीकरण नया शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष वांछित दस्तावेज पेश करते हुए कथन किया गया था कि अपीलान्ट अच्छी हैसियत रखता है तथा उसका चरित्र उत्तम है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा उसने शस्त्र चलाने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। ऐसे में उक्त वसीयत दिनांक 17.4.2019 के आधार पर उत्तराधिकारी की हैसियत से अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में अपीलान्ट के सम्पूर्ण रिकार्ड की जॉच करवाई गई जिसके अनुसार उसके विरूद्ध किसी प्रकार का

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट दिनांक 9.10.2020 के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना पाया गया था, इसी प्रकार वन विभाग की रिपोर्ट भी सकारात्मक होते हुए भी लाईसेन्स जारी नहीं करने की अनुशंषा कर दी गई एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2020 के द्वारा बिना किसी विधिक कारण के ही अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स अधिनिययम के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलान्ट को 12 बोर गन शस्त्र प्राप्त करने की अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र को संचित करने का आदेश पारित करना न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट अपने मामा के द्वारा उनके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी होने के नाते आर्म्स अधिनियम की धारा 22 के अनुसार शस्त्र प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है और उसका आचरण उचित एवं स्वच्छ है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण रूप से पारित किया गया है। यदि अपीलान्ट को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाता तो वे अपना जवाब पेश कर देते। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21(1)() न्याय/ 2020/4490 दिनाक 21.10.2020 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में 12 बोर गन (रिवाल्वर/पिस्टल), एमएल गन आयुध पृष्ठाकंन संख्या 4408 का अनुज्ञा पत्र संख्या 24/2002 दिनांक 31.12.2020 का वसीयत के आधार पर लाईसेन्स जारी करने का आवेदन स्वीकार किया जावें।

6. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये शस्त्र अनुज्ञापत्र के आवेदन को आयुध अधिनियम 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकारी के रूप में मृत अनुज्ञाधारी का पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री दामाद, वधु, भाई, बहन और पौत्र आदि सम्मिलित

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

होने के कारण अपीलान्ट शस्त्र अनुज्ञाधारी श्री रहीम खॉ पुत्र अब्दुल कवि के भानजे होने से उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आने के आधार पर उनके आवेदन को संचित करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2020 को पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन को आयुध अधिनियम 2016 के नियम 25 के अनुसार उत्तराधिकारी के रूप में मृत अनुज्ञाधारी का पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री दामाद, वधु, भाई, बहन और पौत्र होना उल्लेखित होने तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञाधारी मृतक श्री रहीम खॉ पुत्र अब्दुल कवि का भानजा होने से आयुध अधिनियम की धारा 25 के अनुसार उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आने के आधार पर उनके आवेदन को संचित करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2020 को पारित किया गया है तथा अपीलान्ट जो कि आयुध अधिनियम, 2016 के अनुसार मृतक अनुज्ञाधारी के उत्तराधिकारी श्रेणी में नहीं होने के आधार पर उनका आवेदन संचित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य नहीं पाई जाती है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर